



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13122025-268481
CG-DL-E-13122025-268481

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5513]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 9, 2025/अग्रहायण 18, 1947

No. 5513]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9, 2025/AGRAHAYANA 18, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5701(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1918(अ), तारीख 28 अप्रैल, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 28 अप्रैल, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना की प्रतिक्रिया में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप, टिप्पणी और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, पश्चिम सुंदरवन वन्यजीव अभयारण्य सुंदरवन का हिस्सा है, जो भारत और बांग्लादेश दोनों में गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के मुहाने पर निर्मित डेल्टाई मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा एकल खंड है। यह क्षेत्र विश्व की एकमात्र मैंग्रोव बाघ-भूमि भी है, जहाँ विश्व प्रसिद्ध 'रॉयल बंगाल टाइगर' (पेंथेरा टाइग्रिस) पाया जाता है;

और, पश्चिम सुंदरवन वन्यजीव अभयारण्य को पश्चिम बंगाल सरकार के वन विभाग द्वारा 11 सितंबर, 2013 को अधिसूचना संख्या 1828-एफओआर/11एम-86/2012(भाग 1) द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसमें 556.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सम्मिलित है। अभयारण्य उत्तर में अजमलमारी, ठकुरन नदियों, पूर्व में मतला नदी, पश्चिम में ठकुरन नदी और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से घिरा है;

और, पश्चिमी सुंदरवन वन्यजीव अभयारण्य *प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ* की रेड डाटा बुक और लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्टों में सम्मिलित वन्यजीवों की विभिन्न प्रजातियों को आश्रय और सुरक्षा प्रदान करता है और यह लुप्तप्राय रॉयल बंगाल टाइगर (पेंथेरा टाइग्रिस) और विभिन्न वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे फिशिंग कैट (प्रियोनैलुरस विवरिनस), एस्टुअराइन मगरमच्छ (क्रोकोडाइलस पोरोसस) आदि का घर है। यह समुद्री कछुओं जैसे ओलिव रिडले (लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया), ग्रीन टर्टल (चेलोनिया माइडस) आदि का घोंसला बनाने का स्थान है और विलुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन (प्लैटनिस्टा गेंगेटिका) इन मैंग्रोव वनों की खाड़ियों, नहरों में रहती है। यह अभयारण्य फुलवस ब्रेस्टेड वुडपेकर (डेंड्रोकोपोस मैसी), स्ट्राइप ब्रेस्टेड वुडपेकर (डेंड्रोकोपोस एट्राटस), ब्लैक रम्पड फ्लेमबैक (डिनोपियम बेंगालेंस), स्टॉक बिल्ड किंगफिशर (पेलारगोप्सिस कैपेंसिस) आदि जैसे पक्षियों के लिए स्वर्ग है।

और पश्चिम सुंदरवन वन्यजीव अभयारण्य एस्टुअरीन ओटर (लुट्रा लुट्रा), बंगाल मॉनिटर (वाराणस बेंगालेंसिस), वॉटर मॉनिटर छिपकली (वाराणस साल्वेटर), ओलिव रिडले कछुआ (लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया), इरावैडी डॉल्फिन (ओर्काएला ब्रेविरोस्ट्रिस), गेंगेटिक डॉल्फिन (प्लैटनिस्टा गेंगेटिका), इंडियन पायथन (पायथन मोलुरस), रीसस मकाक (मकाका मुलट्टा),

सिवेट कैट (विवेरा जिबेथा), सियार (कैनिस ऑरियस), चीतल (एक्सिस एक्सिस), जंगली सुअर (सस स्क्रोफा) आदि, जैसी कई कमजोर पशु प्रजातियों का समर्थन करता है।

और संरक्षित क्षेत्र में पुष्प प्रजातियों की समृद्ध और विस्तृत जैव विविधता है और यह लगभग 84 मैंग्रोव प्रजातियों का समर्थन करता है और क्षेत्र में मौजूद कुछ फूलों की प्रजातियाँ हैं हरगुजा (एकैन्थस इलिसिफोलियस एल.), खालसी (एजेसेरस कार्निकुलटम), काला बेन (ए. मरीना (फोर्स्क) वीरह.), होडो (एक्रोस्टिचम ऑरियम एल.), बकुल (ब्रुगुएरा सिलिंड्रिका (एल)), नैट (सी. क्रिस्टाटा (एल.)), गिला (एंटाडा स्कैंडेंस बेंथ), दुधिलता (फिनलेसोनिया ओबोवाटा एल.), क्रिप (लुमनिट्जेरा रेसमोसा वाइल्ड), हेंटल (फीनिक्स पलुडोसा रॉक्सब.), कीया (पेंडनस टेक्टोरियस सोलेंड), नोनागुरी (एस. मेरिटिमा डुमॉर्ट) आदि;

और पश्चिमी सुंदरवन अभयारण्य के मैंग्रोव वनों में फैली नदियों, नालों और खाड़ियों सहित अनेक जल निकाय, मछलियों की अनेक प्रजातियों का पोषण करते हैं। मैंग्रोव पौधों की गिरी हुई पत्तियाँ मृदा-जल प्रावस्था को समृद्ध बनाती हैं और पर्यावरण मछलियों की असंख्य प्रजातियों के लिए एक आदर्श नर्सरी भूमि का निर्माण करता है और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मछली की कुछ प्रजातियों में गंगा शार्क (ग्लाइफिस गेंगेटिकस), हैमर हेड शार्क (स्फिरना ब्लोची), गिटार मछली (राइनोबेटोस एनांडेलेई), हैंगर (डासियाटिस सेफोर्स), बटर फिश (स्ट्रोमेटस साइनेसिस), सिल्वर पॉम्फ्रेट (पैम्पस चिरेंसिस), बंगाल टंग फिश (साइनोग्लोसस साइनोग्लोसस), गेंगेटिक हेयरफिन एंकोवी (सेटिपिना) फासा (हैमिल्टन), मोटल्ड ईल (एंगुइला बेंगालेंसिस), ब्लैकफिन सी कैट फिश (एरियस जेला), स्पॉट टेल नीडल फिश (स्ट्रांगिलुरा स्ट्रांगिलुरा), कालागाछी भगोन (लिजा टेडे (फोर्सस्कल), चंदा (एट्रोप्लस सुरैटेंसिस (ब्लोच), आदि शामिल हैं।

और पश्चिमी सुंदरवन वन्यजीव अभयारण्य की पुष्पीय और जीव-जंतुओं की जैव विविधता के प्रभावी संरक्षण और सुरक्षा के लिए, इसके आसपास के क्षेत्र में विभिन्न मानवजनित दबाव की सीमा को विनियमित किया जाना है, क्योंकि इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र से सीधे सटा क्षेत्र पारिस्थितिकी संवेदी जोन है;

और दक्षिण में अजमलमारी, ठकुरन, मतला, बंगाल की खाड़ी की नदियों की गतिशील प्रकृति का अभयारण्य में वन्यजीवों पर सीधा प्रभाव पड़ता है;

और पश्चिमी सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं के आसपास के क्षेत्र को, जो पैरा 1 में पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव विविधता के दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट है, संरक्षित और सुरक्षित रखना आवश्यक है और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्ग और उनके प्रचालन और प्रक्रियाओं को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अब, अतः केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में पश्चिमी सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 2 कि.मी. तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं, अर्थात्:-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं-** (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन, पश्चिम सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के आसपास 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल लगभग 207.35 वर्ग किलोमीटर है।
- (2) पश्चिमी सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।
- (3) पश्चिमी सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र के साथ महत्वपूर्ण मार्ग बिंदुओं के भू-निर्देशांक **उपाबंध- II क** और **उपाबंध-II ख** के रूप में संलग्न हैं।
- (4) सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पर भू-निर्देशांक की सूची **उपाबंध - III** की सारणी **क** और **ख** में संलग्न है।
- (5) कोई भी गांव पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर स्थित नहीं है

2. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना -** (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, स्थानीय लोगों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सुसंगत रीति में तथा केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक-सिद्धांतों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी।

- (3) आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, ताकि उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय पहलुओं को एकीकृत किया जा सके, अर्थात्: -
- i. वन;
 - ii. पर्यावरण;
 - iii. कृषि;
 - iv. मत्स्य पालन;
 - v. पर्यटन;
 - vi. सिंचाई और जलमार्ग;
 - vii. आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा ;
 - viii. अंतर्देशीय जलमार्ग विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार;
 - ix. पंचायत और ग्रामीण विकास; और
 - x. सुन्दरबन मामले.
- (4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भूमि उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन नहीं लगाएगा, जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न किया गया हो और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों को और अधिक दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए सुधार को सम्मिलित किया जाएगा।
- (5) आंचलिक महायोजना में जल-विहीन क्षेत्रों का पुनरुद्धार, विद्यमान जल निकायों का संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों का प्रबंधन, जलग्रहण प्रबंधन, भूजल प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं और पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपाबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- (6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, गांवों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, हरित क्षेत्र जैसे पार्क, बागवानी क्षेत्र, बाग-बगीचे, झीलों और अन्य जल निकायों को विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्रों के साथ चिह्नित किया जाएगा।
- (7) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगा और पैरा 4 के सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगा और स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को

सुनिश्चित करेगा और बढ़ावा देगा।

- (8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना के साथ समाप्त होगा।
- (9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मॉनीटरी समिति के लिए उसके मॉनीटरी के कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु संदर्भ दस्तावेज होगा।
- (10) आंचलिक महायोजना की तैयारी और अनुमोदन तक, कोई भी नया विकासात्मक कार्यक्रमलाप उप-पैरा (1) और (2) के पैरा 6 में विनिर्दिष्ट उपबंधों द्वारा शासित होंगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय. - राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपाबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्: -

भूमि उपयोग.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मनोरंजन प्रयोजनों के लिए चिन्हित वन, बागवानी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, पार्क और खुले स्थान का उपयोग वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए नहीं किया जाएगा या उन्हें क्षेत्रों में संपरिवर्तित नहीं किया जाएगा:

परंतु कि ऊपर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि के संपरिवर्तन की अनुमति मॉनीटरी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, जैसा भी लागू हो और इस अधिसूचना के उपाबंधों के द्वारा, स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने और निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए दी जा सकेगी-

- (i) बैंक स्थिरीकरण या संरक्षण संरचना और उपाय;
- (ii) विद्यमान सड़कों या जेटी का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा पुलों, पुलियों आदि सहित नई सड़कों, जेटी का निर्माण;
- (iii) नदी तलकर्षण और जलमार्गों का तलकर्षण;
- (iv) सामाजिक रूप से वांछनीय लोक अवसंरचना, बिजली, पेयजल, सिंचाई और अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीनीकरण;
- (v) प्राकृतिक आपदा जैसे चक्रवात, तूफान आदि से लोगों को बचाने के लिए आपदा आश्रय स्थल का निर्माण एवं नवीनीकरण तथा संबंधित कार्य।
- (vi) सीमित प्रदूषण संभावित लघु उद्योग;
- (vii) कुटीर उद्योग जिसमें गांव के कारीगर आदि सम्मिलित हैं,

- (viii) गृह प्रवास सहित पारिस्थितिकीय-पर्यटन को समर्थन देने वाली स्थानीय सुविधाएं;
- (ix) सुरक्षा बल शिविर/गश्त शिविरों का निर्माण और नवीनीकरण, तथा
- (x) पैरा 4 में दिए गए क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया गया:

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 या अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) सहित तत्सम प्रवृत्त विधियों के उपाबंधों के अनुपालन के बिना नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भूमि अभिलेखों में दिखाई देने वाली किसी त्रुटि को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार मॉनीटरी समिति के विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात् ठीक किया जाएगा और उक्त त्रुटि के सुधार की सूचना केन्द्रीय सरकार को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में दी जाएगी:

परंतु यह भी कि त्रुटि सुधार में इस उप-पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भूमि उपयोग में परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनरोपण और आवास पुनर्स्थापन क्रियाकलापों के साथ अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनरोपण करने के प्रयास किए जाएंगे।

2. **प्राकृतिक जल निकाय.-** सभी प्राकृतिक झरनों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए योजनाएं आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी और राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत इस प्रकार तैयार किए जाएंगे कि इन क्षेत्रों में या इनके निकट ऐसी विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया जा सके जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं।

3. पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-

- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।
- (ख) पर्यटन महायोजना, राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा।

(ग) पर्यटन महायोजना, क्षेत्रीय महायोजना का एक घटक होगा।

(घ) पर्यटन महायोजना, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार किया जाएगा।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन के क्रियाकलापों को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा, अर्थात्:-

- i. संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतर हो, होटलों और रिसॉर्ट्स का नया निर्माण की अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:
 - i. परंतु कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से पड़े पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, नए होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना की अनुज्ञा केवल पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व-परिभाषित और अभिहित क्षेत्रों में ही दी जाएगी;
 - ii. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा, जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास पर जोर दिया जाएगा;
 - iii. जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नहीं हो जाता, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार की अनुमति संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मॉनीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर दी जाएगी और पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर किसी भी नए होटल, रिसॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापन के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. **प्राकृतिक विरासत-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मूल्यवान प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों, जैसे जीन पूल आरक्षित क्षेत्र, चट्टान संरचनाएं, झरने, घाटियां, उपवन, गुफाएं, स्थान, पैदल मार्ग, सैरगाह, चट्टानें आदि की पहचान की जाएगी और क्षेत्रीय महायोजना के एक भाग के रूप में उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी।
5. **मानव निर्मित विरासत स्थल-** ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व की इमारतों, संरचनाओं, कलाकृतियों, क्षेत्रों और परिसरों की पारिस्थितिकी संवेदी जोन में पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

6. **ध्वनि प्रदूषण.-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का रोकथाम और नियंत्रण, पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसरण में किया जाएगा।
7. **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और पर्यावरण अधिनियम, और इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किया जाएगा।
8. **बहिःस्रावों का निस्सारण-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिःस्रावों का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) तथा पर्यावरण अधिनियम, तथा इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किया जाएगा।
9. **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार होगा:-
 - (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा, जिसे भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 1357 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था; अकार्बनिक माल को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचाने गए स्थल पर पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति से निपटाया जा सकता है;
 - (ख) स्थानीय प्राधिकारी, ठोस अपशिष्टों को जैवअवकर्षणीय और गैर- जैवअवकर्षणीय घटकों में पृथक करने के लिए योजना तैयार करेंगे;
 - (ग) जैवअवकर्षणीय सामग्री को अधिमानतः कम्पोस्ट या वर्मीकल्चर के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
 - (घ) अकार्बनिक सामग्री को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर चिन्हित स्थल पर पर्यावरणीय की दृष्टि से स्वीकार्य रीति से निपटाया जा सकेगा तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाने या भस्म करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
10. **जैव-चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन निम्नानुसार होगा:-
 - (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा;
 - (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर चिन्हित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए

विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय दृष्टि से उचित प्रबंधन की अनुज्ञा दी जा सकती है।

11. **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन** .- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा, जिसे भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 340 (अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया है।
12. **निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन** .- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 317(अ) तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
13. **ई-अपशिष्ट** .- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
14. **यानीय यातायात**.- यानीय यातायात को पर्यावरण अनुकूल रीति से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में विनिर्दिष्ट उपबंध आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक आंचलिक महायोजना तैयार नहीं हो जाती और राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं हो जाता, तब तक मॉनीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय आवागमन के अनुपालन करेगी।
15. **यानीय प्रदूषण**.- यानीय प्रदूषण का नियंत्रण और नियंत्रण लागू विधियों के अनुपालन में किया जाएगा तथा स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।
16. **औद्योगिक इकाइयाँ**.- (क) इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन पर या उसके पश्चात्, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई भी नया प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न किया जाए और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा।

पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

- आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर स्थित क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी निर्माण की अनुमति नहीं होगी;
- विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या अत्यधिक कटाव वाली ढलानों पर निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपाबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियम और पर्यावरण, वन और वन्यजीव से संबंधित भारत सरकार के अन्य अधिसूचनाओं, विधियों और अधिनियमों द्वारा शासित होंगे, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय के संख्या 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और इसके अधीन बनाए गए नियमों और उस तत्सम प्रवृत्त अन्य विधियों और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	विवरण
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और पेराई इकाइयाँ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर घरों के निर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई सहित वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के सिवाय सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और प्रमुख खनिज), पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाइयों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध किया जाएगा; (ख) खनन प्रचालन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाड बनाम यूओआई डब्ल्यूपी (सी) संख्या 202/1995; मामले में तारीख 4 अगस्त, 2006 को दिए गए आदेशों, गोवा फाउंडेशन बनाम यूओआई डब्ल्यूपी (सी) संख्या 435/2012 के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014; और टीएन गोदावर्मन के मामले में तारीख 28

		अप्रैल , 2023 थिरुमुलपाद बनाम यूओआई और डब्ल्यूपी(सी) संख्या 202/1995 के अनुसार किया जाएगा।
2.	प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि)।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी नए उद्योग या विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। विद्यमान उद्योगों द्वारा प्रदूषण निवारण प्रौद्योगिकीयां तकनीक और शोर अवरोधक स्थापित किए जाने चाहिए।
3.	प्रमुख जलविद्युत परियोजना की स्थापना।	प्रतिषिद्ध
4.	किसी भी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित अपशिष्टों का निस्सारण।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर नई आरा मिलों या विद्यमान आरा मिलों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7.	ईट भट्टों की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
8.	पॉलिथीन बैग और प्लास्टिक का उपयोग।	पर्यटन क्रियाकलाप के लिए प्रतिषिद्ध। अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पर प्रतिषिद्ध रहेंगे।
9.	जलाऊ लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
10.	सतही एवं भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	प्रतिषिद्ध।
11.	विदेशी प्रजातियों का परिचय।	प्रतिषिद्ध।
12.	ठोस अपशिष्ट उपचार सुविधा की स्थापना।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव-अवकर्षणीय ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा, जिसे

		<p>भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1357 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया है ; अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर चिन्हित स्थल पर पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकार्य रीति से किया जा सकता है।</p> <p>(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उपचारित/प्रसंस्कृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>
13.	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा की स्थापना।	<p>(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव -चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा । पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई भी जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा स्थापित नहीं की जाएगी।</p> <p>(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर बायो-चिकित्सा इकाइयों से उत्पन्न सभी अपशिष्ट को उपचार और निपटान के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर ले जाया जाएगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर उत्पन्न किसी भी बायो-चिकित्सा अपशिष्ट को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर संभालने, प्रसंस्कृत करने या उपचारित करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।</p>
14.	प्लास्टिक अपशिष्ट उपचार सुविधा की स्थापना	<p>(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 340 (अ), तारीख 18 मार्च, 2016, द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा। आंचलिक महायोजना में अतिरिक्त स्थल-विनिर्दिष्ट निर्बंधन किए जा सकते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर कोई प्लास्टिक अपशिष्ट उपचार सुविधा अवस्थित नहीं होगी।</p>

		<p>(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर उत्पन्न सभी प्लास्टिक अपशिष्ट को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर ले जाया जाएगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर उत्पन्न किसी भी प्लास्टिक अपशिष्ट को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर संभालने, प्रसंस्कृत या उपचारित करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।</p>
15.	ई-अपशिष्ट उपचार सुविधा की स्थापना	<p>(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय-समय पर यथासंशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपाबंधों के अनुसार किया जाएगा। आंचलिक महायोजना में विनिर्देश और अतिरिक्त स्थल-विनिर्दिष्ट निर्बंधन विहित किए जा सकते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर कोई भी ई-अपशिष्ट उपचार सुविधा नहीं होनी चाहिए।</p> <p>(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर उत्पन्न सभी ई-अपशिष्ट को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर ले जाया जाएगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर उत्पन्न किसी भी ई-अपशिष्ट को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर संभालने, प्रसंस्कृत करने या उपचारित करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।</p>
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
16.	होटलों और रिसॉर्टों की व्यावसायिक स्थापना।	<p>पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए होटलों और रिसॉर्टों की अनुमति नहीं होगी:</p> <p>परंतु कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से आगे या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, सभी नई पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान</p>

		क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
17.	निर्माण क्रियाकलाप.	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर दायरे में या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी:</p> <p>परंतु कि स्थानीय लोगों को स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भवन उप-नियमों के अनुसार पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि पर निर्माण कार्य करने की अनुमति दी जाएगी:</p> <p>परंतु यह और कि प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योगों से संबंधित निर्माण संबंधी क्रियाकलापों को लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर विनियमित किया जाएगा और न्यूनतम ही रखा जाएगा।</p> <p>(ख) एक किलोमीटर के दायरे से आगे इसे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।</p>
18.	लघु पैमाने के गैर-प्रदूषणकारी उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से स्वदेशी माल से उत्पाद बनाने वाले गैर-परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प-कृषि, बागवानी या कृषि-आधारित उद्योग को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी।
19.	पेड़ों की कटाई.	<p>(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई को संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।</p>

20.	वन उत्पाद या काष्ठेतर वन उत्पाद का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
21.	विद्युत एवं संचार टावरों को खड़ा करना तथा केबल बिछाना एवं अन्य अवसंरचनाएं।	भूमिगत केबलिंग की लागू विधियों के अधीन विनियमित को बढ़ावा दिया जा सकता है।
22.	नागरिक सुविधाओं सहित अवसंरचना।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन के उपाय करना।
23.	विद्यमान सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढीकरण, नई सड़कों, घाटों, पुलों, पुलियों आदि का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण के साथ शमन के उपाय करना।
24.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारे, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा उड़ान भरना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
25.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
26.	रात्रि में यानीय यातायात का आवागमन।	लागू विधियों के अनुसार वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए विनियमित।
27.	स्थानीय समुदायों द्वारा डेयरी, डेयरी फार्मिंग, जलीय कृषि और मत्स्य पालन के साथ-साथ चल रही कृषि और बागवानी के कार्य।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अनुसार अनुमति दी गई है।

28.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिःस्रावों का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल या बहिःस्रावों के अपशिष्ट को जल निकायों में जाने से रोका जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा, उपचारित अपशिष्ट जल या बहिःस्रावों के निस्सारण को लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
29.	फार्मों, कॉर्पोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
30.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुला कुआँ, बोरवेल आदि।	विनियमित किया जाए तथा उचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की कड़ाई से मॉनीटरी की जाएगी।
31.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन.	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
32.	पारिस्थितिकी पर्यटन.	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
33.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
34.	लकड़ी का संचलन	पश्चिम बंगाल ट्रांजिट नियम, 2019 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
35.	मत्स्य पालन	वन क्षेत्र के अंदर इसकी अनुमति नहीं है। अन्य क्षेत्रों में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नदी या जल निकायों आदि में खेती की जाने वाली प्रजातियों और खेती की विधि को विनियमित किया जाएगा।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
36.	जल छाजन।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
37.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
38.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।

39.	कुटीर उद्योग जिसमें ग्रामीण कारीगर आदि सम्मिलित हैं।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
40.	नवीकरणीय ऊर्जा एवं ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश आदि का सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
41.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
42.	मैंग्रोव बागवानी और हर्बल पौधों का रोपण।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
43.	पर्यावरण अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
44.	कौशल विकास.	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
45.	क्षीण भूमि या वन या पर्यावास का पुनरुद्धार।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
46.	पर्यावरणीय जागरूकता.	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
47.	संधारणीय वन प्रबंध क्रियाकलाप।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
48.	नदी तट संरक्षण उपायों सहित मृदा और नमी संरक्षण कार्य।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा। वानस्पतिक बैंक संरक्षण संबंधी उपायों का संवर्धन किया जाएगा।
49.	मधुमक्षिकालय.	सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना
50.	पर्यावरण अनुकूल वैकल्पिक आजीविका	सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना
51.	तटबंध संरक्षण	अनुमत
52.	चक्रवात आश्रय स्थलों की स्थापना	अनुमत

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की मॉनीटरी के लिए मॉनीटरी समिति-

इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मॉनीटरी के लिए, केंद्रीय सरकार एक मॉनीटरी समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात् : -

क्र.सं.	मॉनीटरी समिति के घटक	पद का नाम
i.	जिला मजिस्ट्रेट, 24 परगना (दक्षिण) जिला, पश्चिमी बंगाल सरकार	अध्यक्ष, पदेन;
ii.	वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
iii.	पारिस्थितिकी के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, जिसे पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
iv.	जैव विविधता पर एक विशेषज्ञ, जिसे पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
v.	सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
vi.	सुन्दरबन मामले विभाग का एक प्रतिनिधि।	सदस्य, पदेन;
vii.	मत्स्य विभाग से एक प्रतिनिधि।	सदस्य, पदेन;
viii.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
ix.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण, बोर्ड पश्चिमी बंगाल का एक प्रतिनिधि।	सदस्य, पदेन;
x.	प्रभागीय वन अधिकारी, 24 परगना (दक्षिण) प्रभाग	सदस्य- सचिव, पदेन;

6. मॉनीटरी समिति के कार्य -

- (1) मॉनीटरी समिति, सं. का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाली, किन्तु इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य

पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को संदर्भित क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट स्थितियों के आधार पर संवीक्षा करेगी।

- (2) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित न किये गए क्रियाकलापों और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों, पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के अतिरिक्त, वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट स्थितियों के आधार पर मॉनीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएंगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजी जाएंगी।
- (3) मॉनीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है।
- (4) मॉनीटरी समिति मामले दर मामले के आधार पर अपेक्षानुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग से प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संगमों या संबंधित पणधारियों के प्रतिनिधि को आमंत्रित कर सकती है।
- (5) मॉनीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की अवधि के लिए अपनी क्रियाकलापों की वार्षिक कार्यवाही रिपोर्ट उस वर्ष 30 जून तक इस अधिसूचना से संलग्न उपाबंध-IV में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी।
- (6) केन्द्रीय सरकार, मॉनीटरी समिति को उसके कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह उचित समझे।

7. **अतिरिक्त उपाय:** केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट कर सकती हैं।

8. **उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश-** इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होंगे।


उपाबंध I

पश्चिमी सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण

पारिस्थिति की संवेदी जोन का नाम	दिशा	चौड़ाई	द्वीप/ श्रेणी/ क्षेत्र	गांव	विनिर्दिष्ट क्षेत्र (संरक्षित वन कम्पार्टमेंट)	नदियां
पश्चिमी सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदी जोन	उत्तर	2 किमी का दायरा	अजमलमारी	माइपीठ	अजमलमारी 11 और 12	अजमलमारी और ठकुरन
	पूर्व	2 किमी का दायरा	हालिडे वन्यजीव अभयारण्य का पारिस्थितिकी संवेदी जोन	शून्य	सुंदरबन टाइगर रिजर्व	मतला
	दक्षिण	2 किमी	शून्य	शून्य	शून्य	बंगाल की खाड़ी
	पश्चिम	2 किमी का दायरा	दुम्बा द्वीप	पूर्वा श्रीपतिनगर, राखलपुर, श्रीधरनगर, सत्यदासपुर, सीतारामपुर	ठकुरन रिजर्व वन	ठकुरन

उपाबंध II क

पश्चिम सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का स्थलाकृतिक मानचित्र, महत्वपूर्ण मार्ग-बिंदुओं के भू-निर्देशांक के साथ



उपाबंध II ख

पश्चिमी सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन का गूगल बिंबविधान मानचित्र, महत्वपूर्ण मार्ग-बिंदुओं के भू-निर्देशांक के साथ



उपाबंध III

सारणी क: पश्चिमी सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर महत्वपूर्ण बिंदुओं के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	वन्यजीव अभयारण्य सीमा पर वेपॉइंट	अक्षांश	देशान्तर
1.	1	21°49'34.658"उ	88°31'58.648"पूर्व
2.	2	21°44'30.073"उ	88°39'52.446"पूर्व
3.	3	21°38'11.034"उ	88°36'58.156"पूर्व
4.	4	21°32'19.07"उ	88°37'42.152"पूर्व
5.	5	21°31'16.461"उ	88°29'53.43"पूर्व
6.	6	21°31'16.461"उ	88°29'53.43"पूर्व
7.	7	21°36'49.812"उ	88°28'55.897"पूर्व
8.	8	21°42'43.468"उ	88°29'19.587"पूर्व

**सारणी ख: सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन की सीमा
पर महत्वपूर्ण बिंदुओं के भू-निर्देशांक**

क्र.सं.	पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन सीमा पर वेपॉइंट	अक्षांश	देशान्तर
1	1ए	21°49'4.23"उ	88°31'31.775"पूर्व
2	2ए	21°44'43.598"उ	88°40'55.253"पूर्व
3	3ए	21°38'31.006"उ	88°38'24.747"पूर्व
4	4ए	21°31'30.692"उ	88°38'26.583"पूर्व
5	5ए	21°30'11.768"उ	88°29'28.801"पूर्व
6	6ए	21°33'26.324"उ	88°25'2.664"पूर्व
7	7ए	21°37'24.93"उ	88°27'47.852"पूर्व
8	8ए	21°42'38.789"उ	88°28'9.878"पूर्व

उपाबंध IV**कार्रवाई रिपोर्ट का प्रोफ़ार्मा**

- बैठकों की संख्या और तारीख।
- बैठक का कार्यवृत्त: (उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक का कार्यवृत्त अलग उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
- पर्यटन आंचलिक महायोजना सहित क्षेत्रीय आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति।
- भूमि अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि के सुधार से संबंधित मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी-संवेदी ज़ोनवार)। ब्यौरा उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
- पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों के लिए संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश (ब्यौरा अलग उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा)।
- पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन सम्मिलित नहीं की गई क्रियाकलापों के लिए संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश (ब्यौरा अलग उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा)।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज शिकायतों का सारांश।
- कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

[फा. सं. 25/05/2024/ईएसजेड]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th December, 2025

S.O. 5701(E).—WHEREAS a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1918(E), dated the 28th April, 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 29th April, 2025;

AND WHEREAS no objections, comments and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the said draft notification;

AND WHEREAS West Sundarban Wildlife Sanctuary is a part of the Sundarbans, which is the largest single chunk of deltaic mangrove forest formed at the mouth of the Ganga-Brahmaputra River system, both in India and Bangladesh. The area is the only mangrove tiger-land on the globe, where the world famous 'Royal Bengal Tiger' (*Panthera Tigris*) is found;

AND WHEREAS West Sundarban Wildlife Sanctuary was notified by the Department of Forests, Government of West Bengal on the 11th September, 2013 *vide* notification number 1828-FOR/11M-86/2012(Pt.1) covering an area of 556.45 square kilometre. The Sanctuary is bounded by the Rivers Ajmalmari, Thakuran in the North, River Matla in the East, River Thakuran in the West, and the Bay of Bengal in the South;

AND WHEREAS West Sundarban Wildlife Sanctuary provides shelter and protection to various species of Wildlife included in Red Data Book of *International Union for Conservation of Nature* and the appendices of *Convention on International Trade in Endangered Species* and it is the home of the endangered Royal Bengal Tiger (*Panthera tigris*) and various globally threatened species namely Fishing Cat (*Prionailurus viverrinus*), Estuarine Crocodile (*Crocodylus porosus*), etc. It is the nesting ground for marine turtles like Olive ridley (*Lepidochelys olivacea*), Green Turtle (*Chelonia mydas*), etc and the endangered Gangetic Dolphin (*Platanista gangetica*) lives within the creeks, canals of these mangrove forests. This Sanctuary is a paradise for birds such as Fulvous Breasted Woodpecker (*Dendrocopos macei*), Stripe Breasted Woodpecker (*Dendrocopos atratus*), Black rumped Flameback (*Dinopium benghalense*), Stork Billed Kingfisher (*Pelargopsis capensis*), etc.

AND WHEREAS West Sundarban Wildlife Sanctuary supports number of vulnerable faunal species such as Estuarine otter (*Lutra lutra*), Bengal Monitor (*Varanus bengalensis*), Water Monitor Lizard (*Varanus salvator*), Olive Ridley Turtle (*Lepidochelys olivacea*),

Irrawaaddy Dolphin (*Orcaella brevirostris*), Gangetic Dolphin (*Platanista gangetica*), Indian Python (*Python molurus*), Rhesus Macaque (*Macaca mulatta*), Civet Cat (*Viverra zibetha*), Jackal (*Canis aureus*), Chital (*Axis axis*), Wild Pig (*Sus scrofa*) etc.;

AND WHEREAS the protected area has a rich and wide biodiversity of floral species and supports about 84 mangrove species and some of the floral species present in the area are Harguza (*Acanthus ilicifolius* L.), Khalsi (*Aegiceras carniculatum*), Kala Baen (*A. marina* (Forsk) Vierh.), Hodo (*Acrostichum aureum* L), Bakul (*Bruguiera cylindrica* (L)), Nate (*C. cristata* (L.)), Gila (*Entada scandens* Benth), Dudhilata (*Finlaysonia obovata* L.), Kripe (*Lumnitzera racemosa* Wild), Hental (*Phoenix paludosa* Roxb.), Keya (*Pandanus tectorius* Soland), Nonaguri (*S. meritima* Dumort) etc.;

AND WHEREAS the multitude of water bodies, including rivers channels and creeks that criss-cross the mangrove forests of West Sundarban Sanctuary, supports many species of fishes. The fallen leaves of mangrove plants enrich the soil-water phase and the environment creates an ideal nursery ground for innumerable species of fishes. Some of the fish species found in the area includes Ganges Shark (*Glyphis gangeticus*), Hammer head Shark (*Sphyrna blochi*), Guitar fish (*Rhinobatos annandalei*), Hangar (*Dasyatis sephors*), Butter Fish (*Stromateus sinensis*), Silver Pomfret (*Pampus chirensis*), Bengal Tongue Fish (*Cynoglossus cynoglossus*), Gangetic Hairfin Anchovy (*Setipinna phasa* (Hamilton), Mottled Eel (*Anguilla bengalensis*), Blackfin Sea Cat Fish (*Arius jella*), Spot Tail Needle Fish (*Strongylura strongylura*), Kalagachhi Bhagone (*Liza tade* (Forsskal), Chanda (*Etroplus suratensis* (Bloch) etc.;

AND WHEREAS for effective conservation and protection of floral and faunal biodiversity of West Sundarban Wildlife Sanctuary, the extent of different anthropogenic pressure in its vicinity has to be regulated as the immediate area adjoining this fragile ecosystem is very ecologically sensitive;

AND WHEREAS the dynamic nature of rivers Ajmalmari, Thakuran, Matla, Bay of Bengal in the South has a direct impact on the wildlife in the Sanctuary;;

AND WHEREAS it is necessary to conserve and protect the area, surrounding the boundaries of West Sundarban Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1, as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) herein after referred to as the Environment Act read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area up to 2 km. from boundary of the West Sundarban Wildlife Sanctuary in South 24 Parganas District in the State of West Bengal as West Sundarban Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone-(1) The Eco-sensitive Zone extends to 2 kilometers around the boundary of West Sundarban Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is approximately 207.35 square kilometers.

(2) The boundary description of the Eco -sensitive Zone of West Sundarban Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure-I**.

(3) The Maps of the Eco-sensitive Zone of West Sundarban Wildlife Sanctuary and Geo-coordinates of the important way points is appended as **Annexure- II A** and **Annexure II B**.

(4) The list of Geo-coordinates on the boundary of West Sunderban Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive zone is appended at Table A and B of Annexure **-III**.

(5) No villages are located within the Eco-sensitive Zone.

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan namely:-

- (i) Forest;
- (ii) Environment;
- (iii) Agriculture;

- (iv) Fisheries;
 - (v) Tourism;
 - (vi) Irrigation and Waterways;
 - (vii) Disaster Management and Civil defence;
 - (viii) Inland Waterways Department, Government of West Bengal;
 - (ix) Panchayat and Rural Development; and
 - (x) Sundarban Affairs.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendlier.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- (10) Pending preparation and approval of the Zonal Master Plan, any new developmental activities shall be governed by provisions specified in sub-para (1) and (2). paragraph 6.

3. Measures to be taken by the State Government. - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

- (1) **Land use.**— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or the State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

- (i) bank stabilization or protection structure and measures;
- (ii) widening and strengthening of existing roads or jetty and construction of new road, jetty including bridges, culverts etc;
- (iii) river dredging and dredging of waterways;
- (iv) construction and renovation of socially desirable public infrastructure, electricity , drinking water, irrigation and other basic civic amenities;
- (v) construction and renovation of disaster shelter and related works to protect people from natural disaster viz. cyclone, storm, etc.,
- (vi) small scale industry with limited pollution potential;
- (vii) cottage industries including village artisans, etc,
- (viii) local amenities supporting eco-tourism including home stay;
- (ix) construction and renovation of security forces camp or patrolling camps; and
- (x) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) The efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or eco-tourism.**— (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
- (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:—
- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:
- Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**— All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

- (5) **Man-made heritage sites.** -The buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the Environment Act, and the rules made under these Acts.
- (8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the Environment Act, and the rules made there under Acts.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016, the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - (b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
 - (c) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
 - (d) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste,**— Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
- (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.
 - (b) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.
- (12) **Construction and demolition waste management.** - The construction and demolition waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the

Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

- (13) **E-waste.** - The e - waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
- (14) **Vehicular traffic.** – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.** - Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.**– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, new polluting industries shall not be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;
- (b) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.**– The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone- All activities in the Eco- Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rule made thereunder and other notifications, law and Acts of the Government of India pertaining to environment, forest and wildlife, in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number 1533(E), dated the 14th September, 2006 and the rules made under there and other laws for the time being in force and be regulated in the manner as specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting

		<p>the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco- sensitive Zone;</p> <p>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court, dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995; dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012; and dated the 26th April, 2023 and the 28th April, 2023 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI and in W.P.(C) No.202 of 1995.</p>
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted. Pollution prevention technologies and noise barriers should be installed by existing industries
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Use of polythene bags and plastics.	Prohibited for tourism activity. For other commercial establishment, plastic below 50 microns shall be prohibited
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
10.	Commercial extraction of surface and ground water.	Prohibited.
11.	Introduction of Exotic species.	Prohibited.

12.	Establishment of solid waste treatment facility.	<p>(a) The bio-degradable solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change <i>vide</i> notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco- sensitive Zone.</p> <p>(b) No solid waste generated outside the Eco Sensitive Zone will be allowed to be treated or processed within the Eco -sensitive Zone.</p>
13.	Establishment of Bio-Medical waste management facility.	<p>(a) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change <i>vide</i> notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016. No Bio Medical Waste treatment facility shall be located within the Eco-sensitive Zone.</p> <p>(b) All waste generated from bio-medical units within the Eco-sensitive Zone shall be taken outside the ESZ for treatment and disposal. No Bio-medical waste generated outside the Eco-sensitive Zone shall be allowed to be handled, processed or treated inside the Eco-sensitive Zone.</p>
14.	Establishment of plastic waste management facility.	<p>(a) The Plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and climate change <i>vide</i> notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016. Additional site-specific restrictions may be prescribed in the Zonal Master Plan. No plastic waste treatment facility shall be located inside the Eco-sensitive Zone</p> <p>(b) All plastic waste generated inside the Eco-sensitive Zone shall be taken outside the Eco-sensitive Zone. No plastic waste generated outside the Eco-sensitive Zone shall be allowed to be handled, processed or treated inside the Eco-sensitive Zone.</p>
15.	Establishment of E-waste management facility.	<p>(a) The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the e-waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time. Specifications and</p>

		<p>additional site-specific restrictions may be prescribed in the Zonal Master Plan. No e-waste treatment facility should be located inside the Eco-sensitive Zone.</p> <p>(b) All e-waste generated inside the Eco-sensitive Zone shall be taken outside the Eco-sensitive Zone. No e-waste generated outside the Eco-sensitive Zone will be allowed to be handled, processed or treated inside the Eco-sensitive Zone.</p>
B. Regulated Activities		
16.	Commercial establishment of hotels and resorts.	<p>No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities:</p> <p>Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
17.	Construction activities.	<p>(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:</p> <p>Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents:</p> <p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
18.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board

		in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
19.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
20.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
22.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
23.	Widening and strengthening of existing roads, construction of new roads, jetties, bridges, culverts etc.	Taking measures of mitigation with proper Environment Impact Assessment, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
24.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose as per the applicable laws.
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by	Permitted as per the applicable laws for use of locals.

	local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	
28.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise, the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
29.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per applicable laws except for meeting local needs.
30.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity shall be strictly monitored by the appropriate authority.
31.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
32.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
33.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
34.	Movement of Timber.	Shall be regulated as per the West Bengal Transit Rules, 2019.
35.	Pisciculture.	Not permitted inside the forest area. In other areas, species cultivated and method of cultivation shall be regulated in the river or water bodies etc. within Eco-sensitive Zone.
C. Promoted Activities		
36.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
37.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
38.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
39.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.

40.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
41.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
42.	Plantation of Mangrove Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
43.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
44.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
45.	Restoration of Degraded Land or Forests or Habitat.	Shall be actively promoted.
46.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.
47.	Sustainable forest management activities.	Shall be actively promoted.
48.	Soil and moisture conservation works including river bank protection measures.	Shall be actively promoted. Vegetative bank protection measures will be promoted.
49.	Apiary.	To be actively encouraged.
50.	Eco friendly alternate livelihood.	To be actively encouraged.
51.	Embankment protection.	Permitted.
52.	Establishment of Cyclone shelters.	Permitted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification. – For effective monitoring of the provisions of this notification, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee comprising of the following, namely: -

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	The District Magistrate 24 Parganas (South) District, Government of West Bengal	Chairman, <i>ex officio</i> ;
(ii)	A representative of Non-governmental Organization working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government of West Bengal from time to time every three years	Member;

(iii)	An expert in the area of Ecology to be nominated by the State Government of West Bengal from time to time every three years	Member;
(iv)	An expert in Biodiversity to be nominated by the State Government of West Bengal from time to time every three years	Member;
(v)	A representative from Irrigation and Waterways Department	Member, <i>ex officio</i> ;
(vi)	A representative from Sundarban Affairs Department.	Member, <i>ex officio</i> ;
(vii)	A representative from Fisheries Department	Member, <i>ex officio</i> ;
(viii)	Representative of Panchayat and Rural Development Department, Government of West Bengal	Member, <i>ex officio</i> ;
(ix)	A representative from West Bengal State Pollution Control Board	Member, <i>ex officio</i> ;
(x)	The Divisional Forest Officer, 24 Parganas (South) Division	Member-Secretary, <i>ex officio</i> .

6. Functions of the Monitoring Committee. - The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof and refer to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

- (2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

-
- (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.
 - (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure-IV, appended to this notification.
 - (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. **Additional Measures:** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. **Supreme Court, etc. orders.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.


Annexure I

**BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE OF WEST
SUNDARBAN WILDLIFE SANCTUARY**

Name of the Eco-sensitive Zone	Side	Width	Island/Range/Area	Villages	Specific Areas (Reserve Forest Compartment)	Rivers
West Sundarban Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone	North	2 Kilometers radius	Ajmalmari	Maipith	Ajmalmari 11 and 12	Ajmalmari and Thakuran
	East	2 Kilometre radius	Eco-sensitive zone of Haliday Wildlife Sanctuary	Nil	Sundarban Tiger Reserve	Matla
	South	2 Kilometers	Nil	Nil	Nil	Bay of Bengal
	West	2 Kilometers radius	Dumba Island	Purba Sripatinagar, Rakhalpur, Sridharnagar, Satyadaspur, Sitarampur	Thakuran Reserve Forest	Thakuran

Annexure II A

TOPOGRAPHICAL MAP OF THE WEST SUNDARBAN WILDLIFE SANCTUARY
AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE WITH GEO-COORDINATES OF THE
IMPORTANT WAYPOINTS



Annexure II B

**GOOGLE IMAGERY MAP OF THE WEST SUNDARBAN WILDLIFE
SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE WITH GEO-COORDINATES OF
THE IMPORTANT WAYPOINTS**



Annexure III

**Table A: GEO COORDINATES OF THE IMPORTANT POINTS ON THE
BOUNDARY OF WEST SUNDARBAN WILDLIFE SANCTUARY**

S.No	Waypoint on WLS Boundary	Latitude	Longitude
1.	1	21°49'34.658"N	88°31'58.648"E
2.	2	21°44'30.073"N	88°39'52.446"E
3.	3	21°38'11.034"N	88°36'58.156"E
4.	4	21°32'19.07"N	88°37'42.152"E
5.	5	21°31'16.461"N	88°29'53.43"E
6.	6	21°31'16.461"N	88°29'53.43"E
7.	7	21°36'49.812"N	88°28'55.897"E
8.	8	21°42'43.468"N	88°29'19.587"E

**Table B: GEO COORDINATES OF THE IMPORTANT POINTS ON THE
BOUNDARY OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND WEST SUNDARBAN
WILDLIFE SANCTUARY**

S.No	Waypoint on ESZ Boundary	Latitude	Longitude
1.	1A	21°49'4.23"N	88°31'31.775"E
2.	2A	21°44'43.598"N	88°40'55.253"E
3.	3A	21°38'31.006"N	88°38'24.747"E
4.	4A	21°31'30.692"N	88°38'26.583"E
5.	5A	21°30'11.768"N	88°29'28.801"E
6.	6A	21°33'26.324"N	88°25'2.664"E
7.	7A	21°37'24.93"N	88°27'47.852"E
8.	8A	21°42'38.789"N	88°28'9.878"E

Annexure IV**Proforma of Action Taken Report**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

[F. No. 25/05/2024/ESZ]

Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G'